# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 58/2020

1. कालू पुत्र अनोखया
2. सिंकू पुत्र कालू
3. श्रीमती सोनम पुत्री कालू
4. श्रीमती शान्ति पत्नी कालू, जाति कंजर, निवासी केशव बस्ती, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. महावरी पुत्र कालू, जाति कंजर, निवासी केशव बस्ती, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 30/2015 निर्णय दिनांक 13.01.2016 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटस की ओर से श्री बालकृष्ण उपाध्याय
2. रेस्पो0 सं0 1 की ओर से श्री अब्दुल बहाव

**निर्णय** दिनांक 29.12.2020.

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर 29.12.20

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 30/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 13.01.16 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी ने एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक ही ग्राम चौथ का बरवाडा के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है। रामगोपाल व प्रतिवादी/अपीलांट नम्बर एक जो कि आपस में खास भाई थे कि कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 0... खसरा नम्बर 544 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 548/5066 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर ... रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 576/5068 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.28 है0, कुल किता 12 रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा स्थित थी जिसमें रामगोपाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक कालू का 1/2 –1/2 हिस्सा था लेकिन दिनांक 15.04.2003 को रामगोपाल का देहान्त होने एवं उसके कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी पत्नी लंकावती के नाम रामगोपाल के हिस्से की आराजीयात का नामान्तकरण खुलकर उसके नाम खातेदारी हो गयी और लंकावती का दिनांक 07.06.2004 को देहान्त हो चुका है परन्तु खातेदारी में लंकावती का नाम चला आ रहा था। मृतक रामगोपाल के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मृतक रामगोपाल ने अपने जीवन काल में अपने भाई प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक कालू के पुत्र वादी महावीर को बाल्यकाल में समाज के व्यक्तियों के सामने उसको गोद लेकर अपनी गोद में बिठाया तथा गोद पुत्र लेने का ऐलान कर नारियल पतासे बाटे तथा कालू ने अपनी सहमति प्रकट की और रामगोपाल ने वादी को अपने पास पुत्र के रूप में रखकर बहेसियत पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किया तथा पिता का नाम दिया और वादी ने भी रामगोपाल व उसकी पत्नी लंकावती के साथ रहकर अपने पुत्र होने का दायित्व निभाया तथा उनकी सेवा की और रामगोपाल ने यह समझते हुऐ कि वादी को भविष्य में कोई परेशानी न हो एक गोदनामा सादा कागज पर दिनांक 08.07.2001 को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष तहरीर व तकमील करवाकर अपने हस्ताक्षर किये तथा अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति का मालिक घोषित किया, वादी के दत्तक पिता रामगोपाल व दत्तक माता लंकावती का जब देहान्त हुआ तब वादी ने ही उनका पुत्र होने के नाते समस्त कियाकर्म किए तथा मोहरवा आदि किया तथा समाज के व्यक्तियों ने रामगोपाल की पगडी भी वादी के ही बंधाई इसलिए वादी मृतक रामगोपाल व उसकी पत्नी मृतक लंकावती काएक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। रामगोपाल व प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक ने उक्त आराजीयात का मौकेपर बंटवारा कर रखा है और मुताबिक बंटवारे के वादी के दत्तक पिता रामगोपाल जीवित रहे तब तक वे और उनकी मृत्यु पश्चात वादी अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की दत्तक माता लंकावती का देहान्त होने के पश्चात वादीने उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 16.02.2015 को कहा तो पटवारी हल्का ने नामान्तकरण तस्दीक करने से इंकार कर दिया इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो मृतक रामगोपाल व लंकावती का दत्तक पुत्र होने के नाते उपरोक्त आराजीयात के आधे हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवाने की घोषणा करवाये तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये बस यही बिनाए दावा पेश होकर दावा करना लाजिम आया। घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वादी विवादित आराजीयात का अपने हिस्से का 1/2 आधे हिस्से का ख[illegible]कार तथा राजस्व रिकार्ड ऑफ राइटस में अपने नाम की खाते[illegible]ाने की इस्त[illegible] चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित होकर अपी0/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।



Scanned with CamScanner

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.06.2015 को ही पत्रावली लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत कर दी गयी परन्तु उस दिन की आदेशिका पर भी कही प्रार्थी कालू के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 16.12.2015 को प्रार्थी की तामील होकर प्रार्थी की ओर से श्री हरीराम प्रजापत एड0 का वकालातनामा प्रस्तुत करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करने का तथ्य अंकित किया गया है परन्तु आदेशिका पर प्रार्थी की उपस्थिति बाबत प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित नहीं कराये गये है। इसी प्रकार दिनांक 23.12.2015 को रेस्पो0 महावीर व उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहान की उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर आदेशिका पर दर्ज कराये गये है तथा प्रार्थी कालू की ओर से अधिवक्ता ने कोई जिरह नहीं करने बाबत अपने हस्ताक्षर किये है परन्तु उस पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त सारी कार्यवाही बिना प्रार्थी की जानकारी से फर्जी तरीके से की गयी है। जिससे प्रार्थी का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय का आधार रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत साधा कागज पर बनाये गये अपंजीकृत गोद नामा को माना है जबकि वो भारतीय दत्तक गृहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार गोदनामा की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि इस पर न तो रामगोपाल के हस्ताक्षर है न हीं उसकी पत्नी लंकावती के हस्ताक्षर है, प्रार्थी कालू एवं प्रार्थी की पत्नी शांति के हस्ताक्षर भी नहीं है यही नही प्रार्थी की उपस्थित दर्शाने हेतु कालू अंकित किया है जो न्यायालय में कालू द्वारा प्रस्तुत करना बताया गये वकालातनामा में इकबाली जवाब दावा पर अंकित कालू के हस्ताक्षरो से मेल नहीं खाते है जिससे यह स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही महावीर ने धोखा धडी करते हुए फर्जी तरीके से अंकित करवाये है जो सही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आलोच्य गोदनामा में कही भी गोद लेने व देने की तारीख या तिथि का अंकन नहीं किया गया है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित कर प्रार्थीगण के साथ अन्याय किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आलोच्य अपंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर रेस्पो0 महावीर ने स्वयं को स्वर्गीय रामगोपाल का दत्तक पुत्र साबित करना चाहा है, इसका अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर दीवानी न्यायालय को है तथा रेस्पो0 महावीर द्वारा स्वयं को स्वर्गीय रामगोपाल का दत्तक पुत्र घोषित करवाने हेतु [illegible] कोई कार्यवाही ही की है नहीं दीवानी न्यायालय से स्वयं को रामगोपाल का दत्तक [illegible] घोषित करवाया है, इस कारण आलोच्य निर्णय विधिक प्रावधानो के विरूद्ध है। विवादित [illegible] राजीयात जिसमें 1/2 भाग का खातेदार अपीलांट है तथा 1/2 भाग का खातेदार प्रार्थी [illegible] भाई स्वर्गीय रामगोपाल था जिसके कोई पुत्र, पुत्री संतान नहीं होने से पत्नी की मृत्यु बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी नहीं होने पर दूसरी अनुसूची का उत्तराधिकारी तथा प्रथम एवं दूसरी अनुसूची के उत्तराधिकारी के नहीं होने पर तीसरी

राजस्व अपील अधिकारी माधोपुर
29.12.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

अनुसूची में अंकित उत्तराधिकारी ही उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है इस प्रकार रेस्पो0 महावीर को अपीलांट कालू के जीवित रहते हुए किसी प्रकार का उत्तराधिकार स्वर्गीय रामगोपाल की विरासत में प्राप्त नहीं हो सकता है तथा प्रार्थी कालू की मृत्यु बाद भी रेस्पो0 महावीर को प्रार्थी कालू तथा अन्य उत्तराधिकारियो अर्थात प्रार्थी कालू के सभी पुत्र पुत्रीयों के साथ प्रार्थी की पत्नी शांति के साथ अधिकार प्राप्त हो सकता है परन्तु रेस्पो0 महावीर ने अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय के द्वारा जो अंकन करवाया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट विवादित आराजीयात का 1/2 भाग का खातेदार अंकित है तथा शेष 1/2 भाग का खातेदार रामगोपाल जो कि प्रार्थी का एक मात्र भाई था तथा उसके कोई पुत्र, पुत्री, पत्नी जीवत नहीं होने से उसकी मृत्यु बाद उसके नाम अंकित इस आलोच्य 1/2 भाग की आराजीयात का अंकन भी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम किया जाना न्यायोचित था परन्तु रेस्पो0 महावीर द्वारा प्रार्थी के साथ धोखा धडी कर फर्जी कार्यवाही करते हुए आलोच्य निर्णय व डिकी प्राप्त कर आलोच्य अंकन करवाये है जो विधि विरूद्ध होकर प्रार्थी के अधिकारो का हनन करने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी गलत कार्यवाही मात्र है जिसे निरस्त किया जाकर विवादित आराजीयात अपीलांट के नाम लगायी जावे। रेस्पो0 द्वारा सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से करने से जानकारी नहीं हो सकी अपीलांट की जानकारी में आते ही अधिनस्थ न्यायालय से नकल लेकर अपील की गयी है। इसलिए डिले कंडोन फरमाते हुए। अपील स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमावा जावे। अपीलांट एड0 द्वारा प्रस्तुत नजीरे 1996 आर.आर.डी. पेज नं0 521 एवं 1996 आर.बी.जे. 437 पेश की।

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रामगोपाल व प्रतिवादी/अपीलांट नम्बर एक जो कि आपस में खास भाई थे कि कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 548/5066 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 576/5068 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.28 है0, कुल किता 12 रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा स्थित थी जिसमें रामगोपाल व प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक कालू का 1/2 –1/2 हिस्सा था लेकिन दिनांक 15.04.2003 को रामगोपाल का देहान्त होने एवं उसके कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी पत्नी लंकावती के नाम रामगोपाल [illegible] से की आराजीयात का नामान्तकरण खुलकर उसके नाम खातेदारी हो गयी और लंकावती [illegible] दिनांक 07.06.2004 को देहान्त हो चुका है परन्तु खातेदारी में लंकावती का नाम चला आ रहा था। मृतक रामगोपाल के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मृतक रामगोपाल ने अपने जीवन काल में अपने भाई प्रतिवादी/अपीलांट नं0 एक कालू के पुत्र वादी महावीर को बाल्यकाल में समाज के व्यक्तियों के सामने उसको गोद लेकर अपनी गोद में बिठाया तथा गोद पुत्र लेने का ऐलान कर



Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:33:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारियल पतारो बाटे तथा कालू ने अपनी सहमति प्रकट की और रामगोपाल ने वादी को अपने पास पुत्र के रूप में रखकर बहेसियत पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किया तथा पिता का नाम दिया और रेस्पो0 ने भी रामगोपाल व उसकी पत्नी लंकावती के साथ रहकर अपने पुत्र होने का दायित्व निभाया तथा उनकी सेवा की है और रामगोपाल ने यह समझते हुऐ कि रेस्पो0 को भविष्य में कोई परेशानी न हो एक गोदनामा सादा कागज पर दिनांक 08.07.2001 को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष तहरीर व तकमील करवाकर अपने हस्ताक्षर किये तथा अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति का मालिक घोषित किया रेस्पो0 के दत्तक पिता रामगोपाल व दत्तक माता लंकावती का जब देहान्त हुआ तब वादी ने ही उनका पुत्र होने के नाते समस्त कियाकर्म किए तथा बाहरवा आदि किया तथा समाज के व्यक्तियों ने रामगोपाल की पगडी भी वादी के ही बंधाई इसलिए वादी मृतक रामगोपाल व उसकी मृतक पत्नी लंकावती का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। रामगोपाल व अपीलांट नं0 एक ने उक्त आराजीयात का मौके पर बंटवारा कर रखा है और मुताबिक बंटवारे के वादी के दत्तक पिता रामगोपाल जीवित रहे तब तक वे और उनकी मृत्यु पश्चात रेस्पो0 अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की दत्तक माता लंकावती का देहान्त होने के पश्चात वादी ने उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम तस्तदीक करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 16.02.2015 को कहा तो पटवारी हल्का ने नामान्तकरण तस्दीक करने से इंकार कर दिया इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो मृतक रामगोपाल व लंकावती का दत्तक पुत्र होने के नाते उपरोक्त आराजीयात के आधे हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवाने की घोषणा करवाये तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये बस यही बिनाए दावा पेश होकर दावा करना लाजिम हुआ, घोषणा इस अमर की करवायी, रेस्पो0 विवादित आराजीयात का अपने हिस्से का 1/2 आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा राजस्व रिकार्ड ऑफ राइटस में अपने नाम की खातेदारी करवाने की इस्तदुआ चाही जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया जो सही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिग्री पारित की है। वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अपीलांट को सारी जानकारी होते हुए भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है जो अक्षम्य है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। [illegible] 2012 आर.आर.डी 471 पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।



Scanned with CamScanner

7. अपी0 द्वारा अपील मीमो के मद सं0 4 में रेस्पो0 महावीर ने किसी अन्य को साथ लेकर उसे प्रार्थी/अपीलार्थी के स्थान पर खडा कर प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखा धडी करवायी है, कथन किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपी0 द्वारा प्रस्तुत वकालत नामा व इकबालिया जवाब उपलब्ध है जिसके फर्जी होने से सम्बन्धित कोई कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की गयी है, ऐसे साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दस्तावेजों पर संशय करना विधि संगत नहीं है। पत्रावली पर प्रदर्श–2 कंजर समाज के व्यक्तियों द्वारा लिखित अपंजीकृत गोदनामा है। इसमें हस्ताक्षर करने वालों में सी–डी राजपाल पुत्र किस्तुरा ने शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया है कि "रामगोपाल के अपने जीवन काल में अपने भाई कालू के पुत्र महावीर का बाल्यकाल में समाज के व्यक्तियों के सामने उससे गोद लेकर अपनी गोद में बिठाया तथा गोद पुत्र का एलान कर नारियल पतासे बाटे तथा कालू ने सहमति प्रकट की," यही कथन ई–एफ हस्ताक्षरकर्ता पी.डब्ल्यू–3 चोबदार पुत्र श्रीया व एक्स निशानीकर्ता पी.डब्ल्यू.–4 छगन सिंह पुत्र कल्लू द्वारा किया गया है। इससे महावीर को रस्म रीति से गोद लेना स्पष्ट होता है। अपी0 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे साबित हो कि रेस्पो0 को गोद नहीं लिया है। पत्रावली पर उपलब्ध भारत निर्वाचन आयोग, पहचान पत्र व राशन कार्ड में महावीर पुत्र रामगोपाल अंकित है। विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा के मु0नं0 30/2015 निर्णय दिनांक 13.01.2016 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.20

( बी.एल.रमण )
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**सवाई माधोपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner